न्यायालय सहायक कलक्टर राजगढ़ जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी – पंकज गढ़वाल आर.ऐ.अस.

वाद सं 155/2020

निर्णय दिनांक 3.11.2020

1.सुरेन्द्रसिंह पुत्र छोटूराम जाति जाट निवासी चुबकिया गढ़ तहसील राजगढ़ जिला चूरू

2.रमेशकुमार पुत्र छोटूराम जाति जाट निवासी चुबकिया गढ़ तहसील राजगढ़ जिला चूरू

वादीगण

बनाम

1.छोटूराम पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी चुबकिया गढ़ तहसील राजगढ़ जिला चूरू

प्रतिवादी

2.सुनीतादेवी पुत्री छोटूराम जाति जाट निवासी चुबकिया गढ़ तहसील राजगढ़ जिला चूरू हाल निवासी किशनगढ़ तहसील आदमपुर मंडी जिला हिसार

3.शारदा देवी पुत्री छोटूराम जाति जाट निवासी चुबकिया गढ़ तहसील राजगढ़ जिला चूरू

गोण प्रतिवादीगण

दावा घोषणात्मक अंतर्गत धारा 88 आर. टी. एक्ट

उपस्थिति – 1.श्री चन्द्रभान कुलरिया एडवोकेट – वास्ते वादीगण

2.श्री मनोज कडवासरा एडवोकेट – वास्ते प्रतिवादी सं. 1

3.ऐक पक्षीय कार्यवाही - गोण प्रतिवादी संख्या 2 व 3

निर्णय

वाद से सम्बंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण ने यह वाद अंतर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट इस आशय का पैश क्रिया कि कृषि भूमि गत खसरा नं.292/46 तादादी 34-

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (चूरू)

14 बीघा, खसरा नं. 296/115 तादादी 05-14 बीघा, खसरा नं. 298/122 तादादी 07-14 बीघा, खसरा नं. 395/41 तादादी 10-00 बीघा कुल तादादी 58-02 बीघा रोही चुबकिया गढ़ तहसील राजगढ़ जिला चूरू जिसके हाल खसरा नं.292/42 तादादी 8.7767 है., खसरा नं. 296/115 तादादी 1.4417 है., खसरा नं. 298/122 तादादी 1.9476 है. खसरा नं. 395/41 तादादी 2.5293 हैक्टेयर कुल तादादी 14.6953 हैक्टेयर रोही चुबकिया गढ़ तहसील राजगढ़ जिला चूरू पेमुद हुये हैं यहि विवादित कृषि भूमि है, वादीगण व प्रतिवादी सं.1 व गोण प्रतिवादी का परिवार संयुक्त हिन्दू परिवार है जो हिन्दू विधि की मिताक्षरा शाखा से गवर्न होता है तथा विवादित कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की पुशतैनी मोरुसी जायदाद रही है जो पूर्व में वादीगण के दादा काशीराम के खातेदारी की रही है तथा उक्त काशीराम के स्वर्गवास के बाद विरास्तन प्रतिवादी के नाम खातेदारी में दर्ज हुई है जिस कारण वादीगण व गोण प्रतिवादी सं. 2 व 3 अपने जन्म के दिन से विवादित कृषि भूमि में प्रतिवादी के साथ बहिस्सा बराबर की सहदायिक है परन्तु विवादित कृषि भूमि अब भी प्रतिवादी के अकेले के नाम से खातेदारी में चली आ रही है जिससे वादीगण तथा गोण प्रतिवादी की सख्त हक़ तलफी हो रही है जिस कारण वादीगण व गोण प्रतिवादीगण प्रतिवादी के खातेदारी में दर्ज विवादित कृषि भूमि अपने व प्रतिवादी सं. 1 के बहिस्सा बराबर खातेदारी की घोषित करवाने के अधिकारी है जिसके लिये यह वाद घोषणात्मक पैश किया जा रहा है, वादीगण व गोण प्रतिवादीगण ने प्रतिवादी सं. 1 को काफी कहा व कहलवाया की वे विवादित कृषि भूमि वादीगण, गोण प्रतिवादी सं. 2, 3 व प्रतिवादी संख्या 1 की बहिस्सा बराबर खातेदारी की स्वीकार कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवा देवें मगर प्रतिवादी सं. 1 ने ऐसा मानने से दिनांक 02.08.2020 को बमुकाम चुबकिया गढ़ सपष्ट इन्कार कर दिया जिस कारण इसी दिन से वादीगण व गोण प्रतिवादी सं. 2 व 3 को वाद कारण व वादाधार हासिल है, अतः घोषित किया जावे कि विवादित कृषि भूमि हाल खसरा नं.292/42 तादादी 8.7767 है., खसरा नं. 296/115 तादादी 1.4417 है., खसरा नं. 298/122 तादादी 1.9476 है. खसरा नं. 395/41 तादादी 2.5293 हैक्टेयर कुल तादादी 14.6953 हैक्टेयर रोही चुबकिया गढ़ तहसील राजगढ़ जिला चूरू के वादीगण व गोण प्रतिवादी सं. 2 व 3 तथा प्रतिवादी सं. 1 बहिस्सा बराबर के खातेदार कास्तकार है आदि आदि पैश किया, वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को सशुल्क तलब किया गया, प्रतिवादी सं. 1 ने मय वकील हाजिर अदालत आ कर इकबाल दावा पैश किया, गोण प्रतिवादी सं. 2 व 3 बावजूद तामिल उपस्थित नहीं होने पर उनके खिलाफ ऐक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाइ गई, वाद पत्र का कोई खंडन पैश नहीं हुआ है अतः साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है ।

बहस उभय पक्ष सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । वाद पत्र के साथ प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत 2057-60 के अनुसार विवादित कृषि भूमि पूर्व में वादीगण व गोण

उपखण्ड अधिकारी

प्रतिवादी के दादा काशीराम पुत्र पदमा के खातेदारी की रही है जिस कारण विवादित कृषि भूमि वादीगण व गोण प्रतिवादीगण के हित निर्धारण के लिए पैत्रिक संपत्ति है तथा वादीगण व गोण प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का विवादित कृषि भूमि में अपने जन्म के समय से प्रतिवादी सं. 1 के साथ सहदायिक हिस्सा है जिस कारण वादीगण का वाद प्रस्तुत दस्तावेज व प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा प्रस्तुत इकबाल दावा से साबित है अतः वाद वादीगण स्वीकार किये जाने योग्य हे ।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के अनुसार वाद वादीगण स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि विवादित कृषि भूमि हाल खसरा नं.292/42 तादादी 8.7767 है., खसरा नं. 296/115 तादादी 1.4417 है., खसरा नं. 298/122 तादादी 1.9476 है. खसरा नं. 395/41 तादादी 2.5293 हैक्टेयर कुल तादादी 14.6953 हैक्टेयर रोही चुबकिया गढ़ तहसील राजगढ़ जिला चूरू के वादीगण, प्रतिवादी सं. 1 व गोण प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ब.ही.ब. के खातेदार कास्तकार हैं, खर्चा वाद पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे । तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 3.11.2020 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (चूरू)